राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 548/2022

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 6089/2019

1. **सुरेश शर्मा, पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शर्मा,** उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी 264, एडब्ल्यूएचओ कॉलोनी, अंबाबाड़ी, जयपुर, राजस्थान।
2. **रश्मि शर्मा पत्नी सुरेश शर्मा, उम्र लगभग** 38 वर्ष, निवासी 264, **डब्ल्यूएचओ** कॉलोनी, अंबाबाड़ी, जयपुर, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

धनवंती शर्मा पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शर्मा, निवासी 264, **एडब्ल्यूएचओ कॉलोनी,** अंबाबाड़ी, जयपुर, वर्तमान में बी-803, **रूहीन टावर,** स्टार बाजार सेटेलाइट, अहमदाबाद, गुजरात।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से : **श्री दीपक शर्मा**

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : **श्री अशोक मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुदित सिंह से** सहायता प्राप्त

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भंडारी

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश

07/05/2022

रिपोर्टेबल

अनूप कुमार ढंड, न्यायमूर्ति

1. इस अपील को दायर करने के माध्यम से, अपीलार्थीगण ने विद्वान एकलपीठ द्वारा

पारित दिनांक 07.04.2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उप-विभागीय अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 08.03.2019 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपीलार्थीगण द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थी ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण अधिनियम, 2007 (संक्षेप में '2007 का अधिनियम') की धारा 23 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थीगण को निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी कि उसे परेशान करना बंद करें और उसे विवादग्रस्त संपत्ति से अलग न करें और विवादग्रस्त संपत्ति का कब्जा उसे सौंप दिया जाए। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने आगे कहा कि उपरोक्त आवेदन 06.03.2019 को प्रस्तुत किया गया था और उस दिन अपीलार्थियों को 08.03.2019 को उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किए गए थे। जब अपीलार्थी 08.03.2019 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए, तो सक्षम प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी को अंतिम राहत देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अपीलार्थियों को एक महीने की अवधि के भीतर संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्थल निरीक्षण आयुक्त को उस घर का दौरा करने और स्वामित्व के संबंध में वहां पड़ी वस्तुओं की एक सूची तैयार करने के लिए भी नियुक्त किया गया था। दिनांक 08.03.2019 के आक्षेपित आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थीगण ने विद्वान एकलपीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे दिनांक 07.04.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अंत में, अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने कहा कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अंतरिम आदेश पारित करके कोई अंतिम राहत नहीं दी जा सकती है।

3. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि प्रत्यर्थी एक वृद्ध अशक्त महिला है। उसके पति की मृत्यु के बाद, विचाराधीन संपत्ति उसके द्वारा खरीदी गई थी और उसे इस संपत्ति में रहने की अनुमति नहीं दी गई है। चूंकि उनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं था, इसलिए उन्हें अहमदाबाद में अपनी बेटी के साथ रहना होगा। अधिवक्ता ने आगे कहा कि उप-विभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है और विद्वान एकलपीठ ने उप-विभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को सही ठहराया है।

4. सुना गया। पक्षों की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार

किया।

5. 2007 के अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि कोई वरिष्ठ नागरिक वर्ष 2007 के अधिनियम की धारा 5 के तहत गुजारा भत्ता देने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है, लेकिन यहां इस मामले में प्रत्यर्थी द्वारा 2007 के अधिनियम की धारा 23 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संपत्ति का कब्जा पाने के लिए प्रार्थना सहित कई प्रार्थनाएं शामिल हैं। यह कानून का मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि अंतरिम आदेश पारित करके कोई अंतिम राहत नहीं दी जा सकती है। यहां तत्काल मामले में, आक्षेपित आदेश पारित करके, अपीलार्थीगण को विचाराधीन संपत्ति खाली करने का निर्देश देकर प्रत्यर्थी को अंतिम राहत दी गई है।

6. इस संबंध में, हम **भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम प्रेम चंद प्रेमी एवं अन्य (2005) 13 एससीसी 505** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उचित रूप से उल्लेख कर सकते हैं। उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि उच्च न्यायालय को अंतरिम चरण में अंतिम राहत नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि यह मुद्दा अत्यधिक बहस का विषय प्रतीत होता है। **यू.पी. और अन्य राज्यों बनाम राम सुखी देवी (2005) 9 एससीसी 733** के रूप में रिपोर्ट किया गया, में उच्चतम न्यायलय के पास फिर से इसी तरह के मुद्दे से निपटने का अवसर था कि क्या अदालत को अंतरिम उपाय के माध्यम से लगभग अंतिम राहत देनी चाहिए। उस संबंध में, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 8 में, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार कहा:

> "...समय-समय पर इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश देने की प्रथा की निंदा की है, जो व्यावहारिक रूप से सुविधा के संतुलन, सार्वजनिक हित और कई अन्य विचारों के बारे में चिंता किए बिना, प्रथम दृष्टया मामला बनाए जाने की तुलना में बेहतर कारण के लिए याचिका में मांगी गई प्रमुख राहत देता है। [देखें सीसीई बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड (1985) 1 एससीसी 260, राजस्थान सरकार बनाम स्वाइका प्रॉपर्टीज (1985) 3 एससीसी 217, यूपी राज्य बनाम विशेश्वर (1995) सप्प. (3) एससीसी 590, भारतभूषण सोनाजी क्षीरसागर (डॉ.) बनाम अब्दुल खालिक मो. मूसा (1995 सप्प. (2) एससीसी 593), शिव शंकर बनाम निदेशक मंडल, उत्तर प्रदेश सरकार सड़क परिवहन निगम (1995 एसयूपीपी (2) एससीसी 726) और सरकार के आयुक्त/सिविल, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग बनाम डॉ. अशोक कुमार कोहली (1995 सप्प (4) एससीसी 214)]।" इस बात का कोई आधार नहीं बताया गया है कि विद्वान एकलपीठ ने क्यों सोचा कि निर्देशित पाठ्यक्रम को अपनाना आवश्यक

था। यहां तक कि यह भी संकेत नहीं दिया गया था कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था, हालांकि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसलिए, हम खंडपीठ द्वारा पुष्टि किए गए एकलपीठ द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना हमने मुख्य रूप से इस आधार पर हस्तक्षेप किया है कि अंतिम राहत उचित कारणों के बिना अंतरिम चरण में दी गई है।

7. चूंकि 2007 के अधिनियम की धारा 23 के तहत मुख्य आवेदन अभी भी उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है और उक्त आवेदन में विभिन्न अंतिम प्रार्थनाएं मांगी गई हैं, जिसमें विचाराधीन संपत्ति का कब्जा पाने के लिए प्रार्थना भी शामिल है। मुख्य याचिका पर निचली अदालत द्वारा जांच करने और दोनों पक्षों के सबूतों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन उस चरण को पार करने से पहले, नीचे दिए गए न्यायालय ने अंतिम आदेश की प्रकृति में एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें अपीलार्थीगण को परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय उपरोक्त निर्णयों के अनुपात पर विचार करने के बाद, हम मानते हैं कि दिनांक 08.03.2019 के अंतरिम आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी को दी गई अंतिम राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यदि ऐसा अनुरोध दिया जाता है, तो यह अंतरिम राहत के रूप में अंतिम राहत देने के बराबर होगा जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए अनुसार मंजूर नहीं किया जा सकता है।

9. हम देवराज बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य **(2004) 4** एससीसी **697** में रिपोर्ट किया गया, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। उक्त निर्णय के पैरा 12 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है:

> पीठ ने कहा, "ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जहां अंतरिम राहत देना अंतिम राहत देने के समान होगा। और फिर ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां अंतरिम राहत को रोकना मुख्य याचिका को खारिज करने के समान होगा; क्योंकि, जब तक मुख्य मामला सुनवाई के लिए आता है, तब तक अपीलार्थी को राहत के रूप में अनुमति देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, हालांकि सभी निष्कर्ष उसके पक्ष में हो सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रथम दृष्टया एक बहुत ही मजबूत मामले की उपलब्धता- जो केवल प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में बहुत अधिक है, सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति के विचार मामले के संतुलन को पूरी तरह से आवेदक के पक्ष में झुका देते हैं, अदालत को अंतरिम

राहत देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, हालांकि यह अंतिम राहत देने के बराबर है। बेशक, ऐसे दुर्लभ और असाधारण मामले होंगे। न्यायालय इस तरह की अंतरिम राहत केवल तभी प्रदान करेगा जब वह संतुष्ट हो जाए कि इसे रोकने से न्यायालय की अंतरात्मा को आधात होगा और न्याय की भावना के लिए हिंसा होगी, जिसके परिणामस्वरूप पूरी सुनवाई के दौरान अन्याय को बढ़ावा दिया जाएगा, और अंत में न्यायालय न्याय के कारण को सही साबित करने में सक्षम नहीं होगा। जाहिर है कि ऐसे दुर्लभ मामले सम्मोहक परिस्थितियों के साथ होंगे, जहां चोट की शिकायत तत्काल और दबाव वाली है और अत्यधिक कठिनाई का कारण बनेगी। पक्षकारों के आचरण को भी देखना होगा और अदालत पक्षकारों को ऐसी शर्तों पर रख सकती है जो विवेकपूर्ण हो सकती हैं।"

10. उक्त निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अंतिम राहत देने के माध्यम से किसी भी अंतरिम निषेधाज्ञा को देने की शक्ति का उपयोग दुर्लभ और असाधारण मामलों में शायद ही कभी किया जाना चाहिए, और न्यायालय को इस तरह की अंतरिम राहत केवल तभी देनी चाहिए जब वह संतुष्ट हो कि इसे रोकने से न्यायालय की अंतरात्मा को चुभन होगी और न्याय की भावना के लिए हिंसा होगी। परिणामस्वरूप पूरी सुनवाई के दौरान अन्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है।

11. हमारे विचार में, उप-विभागीय अधिकारी द्वारा 08.03.2019 को पारित अंतरिम आदेश जिसमें अपीलार्थीगण को इस प्रारंभिक चरण में घर परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था, प्रत्यर्थी का मुख्य आवेदन पार्टियों को मुख्य आवेदन/याचिका की सुनवाई के समय अपने संबंधित मामलों को रखने की अनुमति दिए बिना स्वचालित रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। इस मामले में, अपीलार्थियों ने अभी तक प्रत्यर्थी के आवेदन/याचिका पर जवाबी शपत-पत्र/उत्तर दायर नहीं किया है।

12. विद्वान एकलपीठ ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए उपरोक्त अनुपात पर विचार नहीं किया है कि अंतिम राहत की प्रकृति में अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है।

13. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 07.04.2022 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और आपास्त किया जाता है। उप-विभागीय अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.03.2019 के आक्षेपित आदेश को भी रद्द किया जाता है और आपास्त किया जाता है।

14. पक्षकारों को 23.05.2022 को उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का

निर्देश दिया जाता है।

15. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपीलार्थियों द्वारा दायर विशेष अपील (रिट) की अनुमति दी जाती है।

16. चूंकि यह मामला उपखंड अधिकारी, जयपुर के समक्ष न्यायाधीन है, इसलिए उपखंड अधिकारी, जयपुर से अपेक्षा की जाती है कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर इस मामले पर शीघ्रता से निर्णय लें। समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए ताकि पक्षकारों के संबंधित अधिकारों को निश्चित रूप प्रदान किया जा सके।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति **(पंकज भंडारी), न्यायमूर्ति**

Ritu/81

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।